

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2158/2026

आशीष

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पंकज भारती

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज भारती, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज गौतम को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 503/2025, धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर में इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत के लिए दिया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक प्राथमिकी (FIR) में नामित नहीं था और उसका नाम सह-अभियुक्त सोनू कुमार और विकास के इकबालिया बयान में सामने आया था, जिनके पास से क्रमशः 124 ग्राम और 137 ग्राम स्मैक अलग-अलग बरामद की गई है। यह भी तर्क दिया गया कि तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, जांच के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिकारियों के समक्ष किए गए इकबालिया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उन्हें पुलिस अधिकारियों के समक्ष माना जाता है। यह भी कहा गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह बताया गया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।
5. आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं था और उसका नाम सह-अभियुक्त सोनू कुमार और विकास के इकबालिया बयान में सामने आया था, जिनसे क्रमशः 124 ग्राम और 137 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त (पिछला अभिलेख), अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।
7. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- आशीष की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

वीरेन्द्र